

न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास कुमार पाल गौतम आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुद्रासंख्या 25/08 राजस्व विविध

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (रा) लूणकरणसर

-प्रार्थी

: ब न अ म :

चंदूखां वल्द भादर खां जाति मुसलमान निवासी कानोर तहसील सूस्तगढ़ जिला गंगानगर।

-अप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू-राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970

उपस्थिति:-

1. स्टेट की तरफ से विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित।
2. अप्रार्थी चंदूखां हाजिर नहीं।



: आ दे श :

दिनांक 26.11.19

1. प्रार्थना पत्र संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी द्वारा अपनी वास्तविक पहचान व रिहायश छिपाकर कपटपूर्वक ढंग से ग्राम बालादेसर के खसरा नं. 170/1 में 70 बीघा का आवंटन अपने नाम से करवाया है। आवंटनी ने कभी आवंटित भूमि काशत नहीं की ना ही वह भूमि पर काबिज है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन खारिज फरमाया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी दिनांक 09.9.2009 को नियत पेशी पर उपस्थित होने के पश्चात् निरंतर कई मौके दिये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं आये।

3. अप्रार्थी के उपस्थित नहीं आने पर स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की ईकतरफा बहस सुनी गयी। विभागीय प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओ को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी ग्राम बालादेसर का निवासी नहीं है। आवंटन अधिकारी के समक्ष अपनी वास्तविक पहचान व रिहायश छिपाकर कपटपूर्वक ढंग से ग्राम बालादेसर के खसरा नं. 170/1 में 70 बीघा भूमि का आवंटन अपने नाम से करवाया है। अप्रार्थी ने पूर्व में धारित भूमि के तथ्य को भी छिपाया है। आवंटित रकबे को आवंटनी द्वारा कभी भी काशत नहीं किया गया तथा आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया गया। मौके पर आवंटनी काबिज नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन खारिज किया जावे।


जिला कलक्टर, बीकानेर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व विभागीय प्रतिनिधि की बहस पर मनन किया। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का साकिन कानौर तहसील सूरतगढ़ जिला गंगानगर अंकित है। इससे यह जाहिर होता है कि प्रार्थी तहसील लूणकरणसर का निवासी नहीं है। आवंटन अधिकारी के समक्ष अप्रार्थी ने अपनी वास्तविक पहचान व रिहायश को छिपाकर कपटपूर्वक ढंग से आवंटन करवाया है। खसरा गिरदावरी संवत् 2059 से 64 में प्रश्नगत भूमि पर काश्त साबित नहीं होती है। इससे यह स्पष्ट है कि आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण नियम 14(3) के तहत भी उक्त आवंटन निरस्त योग्य है। विभागीय प्रतिनिधि की बहस के अनुसार आवंटी वरवक्त आवंटन व बाद में कभी भी उक्त आवंटित भूमि पर काबिज नहीं रहा है। वर्तमान में भी काबिज होकर काश्त नहीं की जा रही है, इससे यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी ने तथ्यों व अपनी पहचान को छिपाते हुए कपट पूर्वक आवंटन करवाया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी (स्टेट) स्वीकार किया जाना हम न्यायोचित पाते हैं।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्टेट स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत आवंटन शर्तों का उल्लंघन करने के कारण अप्रार्थी चंदूखां वल्द भादर खां जाति मुसलमान निवासी कानौर तहसील सूरतगढ़ जिला गंगानगर के नाम आवंटित ग्राम बालादेसर के खसरा 170/1 में 70 बीघा भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। आदेश की एक प्रति उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार (राजस्व), लूणकरणसर को भी भिजवाई जावे। राजस्व रिकार्ड में राजकीय भूमि का अंकन किया जावे।

6. आदेश आज दिनांक 26.11.19को हमारे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(कुमार पाल गौतम)
जिला कलेक्टर, कानौर, राजस्थान